राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

कमल कुमार आदि बनाम जगदीश आदि

पत्रावली संख्या 12@2022 विषय–धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
06.09.2023	पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित । रेस्पों0 अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील सं0 12/2022 अनुवानी कमल कुमार आदि बनाम जगदीश आदि में निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 1186/2022 प्रस्तुत की गयी जिस पर उभय पक्षो की बहस के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटान द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ को उभय पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह में निर्णय पारित करावें । अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त कर दिया गया है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र निस्तारित करने हेतु आदेशित कर दिया गया है तो इस न्यायालय में यह अपील चलने योग्य नही है । अतः अपील को इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो । निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (अशोक सांगवा) भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर Signature Not Verified Digitally signed by Ashok Sangva Date: 2023.09.11 11:07:30 IST Reason: SelfAttested	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2023.09.11 11:07:30 IST
Reason: SelfAttested